13/11/19 पत्रावली आज पेश हुई। प्रार्थी वकील उपस्थित। प्रार्थी वकील द्वारा निवेदन किया कि अप्रार्थी सं. 5 भूमिधारी तहसीलदार रानीवाड़ा से कोई अनुतोष नही चाहा गया है अतः जवाब बंद कर बहस सुनी जाए। वादी वकील के निवेदन पर प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया जिसमें प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी सं. 5 से कोई अनुतोष नही चाहने पर अप्रार्थी सं. 5 का जवाब बंद किया जाता है। प्रार्थी वकील की एकपक्षीय बहस सुनी गई। प्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र मे निवेदन किया कि हस्तगत प्रकरण मे मौजा सोलर के खसरा नम्बर 213 रकबा 0.02 हे. ख. नं. 215 रकबा 7.61 हेक्टेयर ख. नं. 215/790 रकबा 0.01 हेक्टेयर कुल रकबा 9.64 हेक्टेयर, खसरा नम्बर 223 रकबा 11.95 हेक्टेयर की प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण की सामलाती आराजी है। जिसमें अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा के पाबंद नही

सहायक कलेक्टर — PTO —
रानीवाड़ा जिला-जालोर

मुकदमा नं. ....

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	
	नही किया गया तो वे बिना बंटवारा करवाये उक्त सामलाती आराजी पर स्थाई कब्जा कर स्थाई पक्का निर्माण, बाड़ बाउन्ड्री व तारबंदी कर देंगे तथा अच्छी किस्म की जमीन पर कब्जा कर उक्त आराजी को हड़प कर लेंगे तथा आगे किसी भी अजनबी क्रेता को बेचान कर देंगे, जिससे प्रार्थीगण अपने हक हिस्से बंटर की आराजी मे काश्त भी नहीं कर पायेगें तथा प्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति होगी, जिसकी पूर्ती रूपयों मे किया जाना सम्भव नहीं होगा। अतः उक्त प्रकरण में विवादित आराजी मे प्रार्थीगण के हिस्से व बंटर की आराजी मे प्रार्थीगण के कब्जे काश्त व उपयोग उपभोग मे अप्रार्थी संख्या 1 व 2 न तो स्वयं कोई दखल करे तथा न किसी अन्य से करवाये तथा उक्त विवादित आराजी मे कोई पक्का व कच्चा निर्माण न करे तथा न ही बाड़, बाउन्ड्री अथवा तारबंदी आदि करे तथा न ही उक्त आराजी का बेचान / अन्तरण करे। साथ ही खसरा नम्बर 223 रकबा 11.95 हैक्टेयर मे प्रार्थी सं. 3 के बंटर व हिस्से की आराजी में उनके कब्जे काश्त व उपयोग उपभोग मे अप्रार्थी सं. 3 व 4 न तो स्वयं कोई दखल करें तथा न ही किसी अन्य से कोई दखल करावें तथा न ही उक्त आराजी को पक्का कच्चा निर्माण व बाड़, बाउन्ड्री अथवा	

PTO

सहायक कलेक्टर
रानीवाड़ा जिला-जालोर

Scanned by CamScanner

तारबंदी आदि करे। तथा न ही उक्त आराजी का बेचान/अन्तरण को रोकने हेतु वाद के निस्तारण तक जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा का आदेश जारी किया जाना न्यायहित मे आवश्यक है। अप्रार्थीगण की ओर संख्या 1 से 4 व 6 की ओर से कोई उपस्थित नहीं होने से उनके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई। तथा अप्रार्थी सं 5 से कोई अनुतोष नही चाहा गया है। इसलिये अप्रार्थी से 5 का जवाब बंद किया गया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस के तथ्यो का मनन किया। प्रार्थीगण द्वारा बहस मे प्रार्थनापत्र के कथनो को दोहराया गया। हस्तगत प्रकरण मे प्रार्थीगण विधिक बंटवारा करवाना चाहते है, इसलिए विधिक बंटवारा करवाये बिना किसी प्रकार का बेचान, निर्माण, दखलंदाजी कर राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज करवाने से तारफैसला वाद रोका जाना न्याय संगत है अत: तारफैसला वाद तक प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण के विरूद्ध इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि मौजा सातरू के ख. न. 213, 215, 215/750 रकबा क्रमश 2.02 है, 7.61 है, 0.01 है कुल रकबा 9.64 है. व ख. न. 223 रकबा 11.95 हैक्टेयर कि मौका ऐव रिकॉर्ड की यथास्थिति उभयपक्षकार बनाये रखेंगे। निर्णय की प्रति तहसीलदार रानीवाड़ा

सहायक कलेक्टर
रानीवाड़ा जिला-जालोर
PTO

Scanned by CamScanner

मुकदमा नं. ....

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व ... अहकाम जो ... की तामिल में ...
	को भेजी जावें। पक्षकारान अपना-अपना खर्चा वहन करें। पत्रावली फैसल शुमार नम्बर से कम हो। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। सहायक कलेक्टर रानीवाड़ा जिला-जालोर	

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Prakash Chandra Agarwal
Date: 2019.12.23 20:41:28 IST
Reason: SelfAttested
Location: